अपील संख्या 47/2018 धारा 225 आर.टी.ए. अनवान साहबराम आदि बनाम भगवानाराम आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रस्तावित पत्रांक एवं दिनांक
12/11/18	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 22.03.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा भगवानाराम के प्रा.पत्र पर राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र कमांक एफ.12(11)( )राजस्व/16/5758–802 दिनांक 16.08.2016 की पालना में पुराना चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पों. भगवानाराम के प्रा.पत्र पर राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने का आदेश दिया है जो कि प्रथम दृष्टया राज. भू–राजस्व अधि. के तहत भू अभिलेख अधिकारी के रूप में कार्य करने की श्रेणी में आता है। अपीलांट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उसने किस अधिनियम के किस प्रावधान के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। यहां यह पूर्णतया सुस्पष्ट है कि भू अभिलेख अधिकारी के रूप में दिये गये आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस विवेचन के अनुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में ऐसे आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कानूनी प्रावधान हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को हो। अतः अपील अपीलांट उक्तानुसार खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर